मुकदमा नम्बर 06/2022

ऑनलाईन नम्बर 2022/9

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

संशोधित निर्णय 30.05.2024

निर्णय दिनांक 29.05.2024

फरसाराम पुत्र लाभूराम जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।
2. नोरंगराम पुत्र रेंवतराम जाति सुथार निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
3. वीर तेजा गोशाला समिति, कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जरिये अध्यक्ष भगवानाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. वीर तेजा गोशाला समिति, कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जरिये सचिव मामराज पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. वीर तेजा गोशाला समिति, कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जरिये कोषाध्यक्ष तारूराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।
3. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3, 4, 5 की ओर से।
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी गांव कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ का रहने वाला है। प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम[illegible] तादादी 0.8900 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी ने [illegible] में ट्यूब वैल बनाकर कृषि कनेक्शन ले रखा है तथा सिंचित कृषि भूमि है। प्रार्थी के नाम [illegible] ही नौरंगराम दत्तक पुत्र रेवंतराम जाति सुथार की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 500 तादादी 3.7000 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही कल्याणसर में स्थित रही है। यह है कि प्रार्थी ने [illegible] खेत खसरा नम्बर 609 तादादी 0.8900 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर पुराना (मय ट्यूब वैल विद्युत कनेक्शन सहित) उक्त नौरंगराम सुथार को विनिमय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 19.05.2009 के द्वारा सुपुर्द कर दिया तथा उक्त नौरंगराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:09:25 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

ने अपनी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 500 तादादी 3.70 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर पुराना में से उतरी पूर्वी कोने की 1.0117 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी के पक्ष में विनियम पत्र के द्वारा सुपुर्द कर दिया गया। विनियम पत्र उपपंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में दिनांक 19.05.2009 को रजिस्टर्ड करवाया गया है। यह है कि विनिमय पत्र के बाद खेत खसरा नम्बर 609 तादादी 0.8900 हैक्टेयर का इन्तकाल नौरंगराम सुथार के नाम दर्ज हो गया तथा खेत खसरा नम्बर 500 में से 1.0117 हैक्टेयर का इन्तकाल प्रार्थी के नाम दर्ज हो गया व नये खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर के रूप में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। विनियम पत्र के अनुसार खेत खसरा नम्बर 500 तादादी 3.70 हैक्टेयर में से उतरी पूर्वी भाग की 1.0117 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर कायम हुए है का कब्जा प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया। विनिमय पत्र के मुताबिक ही उक्त खसरे की उतरी पूर्वी भाग की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार रूप से चला आ रहा है। यह है कि प्रार्थी को अभी के.सी.सी. ऋण की आवश्यकता होने पर प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर नया की जमाबन्दी, राजस्व नक्शा आदि की नकले प्राप्त की तो प्रार्थी को पता चला कि वर्तमान राजस्व नक्शे में उक्त खसरे की तरमीम आयताकार के रूप में रखी है जिसमें पूर्वी व पश्चिमी सीमां चौड़ाई में एवं उतरी एवं दक्षिणी सीमां लम्बाई में तरमीम हो रखी है जबकि मौकानुसार व कब्जानुसार उक्त खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर वर्गाकार के रूप में है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी को विनिमय पत्र से प्राप्त भूमि को बिल्कुल ही गलत रूप से नक्शा अक्स में उतर दक्षिण लम्बाई के रूप में खसरा नम्बर 500 में उतरी तरफ दर्शित कर दिया जबकि विनियम पत्र के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 500 में प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 827/500 की 1.0117 हैक्टेयर भूमि को उतरी–पूर्वी तरफ कोने में तरमीम करना चाहिए था। वर्तमान राजस्व अक्स के अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि खेत खसरा नम्बर 500 की उतरी पूर्वी भाग की 1.0117 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है और इसी अनुसार प्रार्थी राजस्व नक्शे में संशोधन (तरमीम) करवाना चाहता है।

नजरी नक्शा रिकार्ड अनुसार

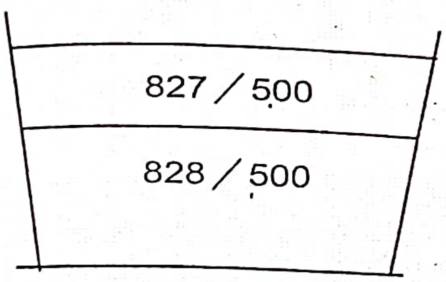

नजरी नक्शा मौकानुसार

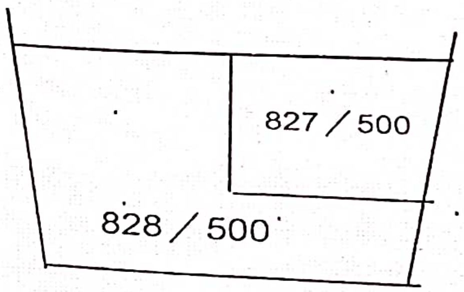

यह है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर पुराना की राजस्व नक्शे में गलत तरमीम होने से प्रार्थी को भू रूपान्तरण करने, सीमाबंदी/चारदीवारी करवाने व ऋणादि लेने में भारती परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 827/500 को खसरा नम्बर 500 के राजस्व अक्स में उतरी–दक्षिणी में लम्बाई के रूप में नक्शा में गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है। प्रार्थी का उक्त खेत वर्गाकार रूप में है जो खसरा नम्बर 500 के उतरी पूर्वी कोने में है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को गलत तरमीम को शुद्ध करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप न्यायालय में कार्यवाही करो। यह है कि सेटलमेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:09:25 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
डूंगरगढ़ (बीकानेर)

के दौरान नक्शा की गलत तरमीम कर मौका स्थिति के विपरीत खसरा नम्बर 827/500 दर्शाया गया है जो दुरूस्त किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 827/500 वाकेरोही कल्याणसर पुराना का नक्शा प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित नक्शानुसार दुरूस्त कर पुराने खेत खसरा नम्बर 500 जिसके नये खसरा नम्बर 828/500 कायम हुए है में उतरी पूर्वी कोने में वर्गाकार के रूप में तरमीम किये जाने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 जरिये नोटिस उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी के पेश किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 पक्षकार संयोजित किया गया। स्टेट की और से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। बहस उभय पक्षकरान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 609 तादादी 0.8900 हैक्टेयर रोही मौजा कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मय ट्यूब वैल, विद्युत कनेक्शन सहित अप्रार्थी संख्या 2 नौरंगराम सुथार को विनिमय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 19.05.2009 के द्वारा सुपुर्द किया किया था। खेत खसरा नम्बर 500 तादादी 3.70 हैक्टेयर में से 1.0117 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी को विनिमय पत्र के द्वारा दी गई है। वादगत खेतों का विनिमय होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल व राजस्व नक्शा में तरमीम भी सही तरीके से की गई थी। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों राजस्व नक्शा में की गई तरमीम के अनुसार ही वादगत खेतों पर काबिज हैं। खेत खसरा नम्बर 609 तादादी 0.8900 हैक्टेयर का इंतकाल नौरंगराम सुथार के नाम से दर्ज किया गया था व खेत खसरा नम्बर 500 में से तादादी 1.0117 हैक्टेयर का इंतकाल प्रार्थी के नाम से दर्ज किया गया था, जिसके नये खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर हुए तथा इंतकाल भी विनिमय पत्र के अनुसार सही दर्ज हुआ है, राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में तरमीम के अनुसार मौका पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर का राजस्व नक्शा में तरमीम की जानकारी इंतकाल दर्ज होने होने की दिनांक से ही हैं। प्रार्थी ने गलत तथ्यों का वर्णन किया है, राजस्व कर्मचारियों ने विनिमय पत्र के अनुसार राजस्व नक्शा में बिल्कुल सही रूप से खेतों को तरमीम कर रखा हैं। प्रार्थी का कब्जा भी राजस्व नक्शा में तरमीम के अनुसार ही चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा राजस्व अक्स में तरमीम के अनुसार ही चला आ रहा हैं। प्रार्थी को राजस्व नक्शे में मद संख्या 4 में वर्णितानुसार एक्स के अनुसार तरमीम करवाने का कतई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी पिछले 10 वर्षों से वादगत खेत का नक्शे में तरमीम के अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 828/500 की 4 बीघा भूमि कालूराम को वर्तमान में काश्त पर दे रखी है, चंदूराम ने 4 बीघा भूमि में सरसों की फसल काश्त कर रखी हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी व कब्जा, काश्त की भूमि पर पट्टियों के कातले रोप रखे हैं। प्रार्थी ने [illegible] प्रार्थना-पत्र धारा 131 व धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र पेश किया [illegible] खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी बिना घोषणात्मक अनुतोष के इस प्रकरण में [illegible] सक्षम नहीं हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] वादगत खेत पर बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण ले रखा हैं। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित है। वादगत भूमि बाबत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:09:25 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी फरसाराम ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो भूमि नोरंगराम दतक पुत्र रेवन्तराम जाति सुथार की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 500 तादादी 3.700 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर में से भूमि खरीद की थी नोरंगराम दतक पुत्र रेवन्तराम ने अपने शेष खसरा नंबर 500 में से 0.5058 हैक्टेयर भूमि वीर तेजा गोशाला के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 07.12.2022 के दान कर दी, जिसके नामान्तरण संख्या 1271 दिनांक 09.01.2023 के द्वारा दर्ज हुये व जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1086/828 कुल तादादी 0.5058 राजस्व रिकार्ड में वीर तेजा गौशाला समिति के नाम से कायम हुये। एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय रेवन्यू बोर्ड की नजीर आरएलडब्ल्यू 2009(1)आरजे पृष्ठ संख्या 210 से 213 व आरआरटी 2021(2) पृष्ठ संख्या 962 से 967 पेश की गई।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 14.03.2022 एवं 05.08.2022 व दिनांक 17.10.2022 का अवलोकन किया गया। खेत खसरा नंबर 827/500 तादादी 1.0117 हैक्टेयर वाके रोही कल्याणसर पुराना में नौरंगराम दतक पुत्र रेवन्तराम जाति सुथार व प्रार्थी फरसाराम पुत्र लाभूराम के खातेदारी खेत में खसरा नंबर 609 तादादी 0.89 हेक्टयर रोही कल्याणसर पुराना में स्थित था। दोनो खातेदारों द्वारा उपपंजीयक श्रीडूंगरगढ के समक्ष दिनांक 19.05.2009 को विनिमय पत्र प्रस्तुत किया विनिमय पत्र की पालना में हल्का पटवारी ऊपनी द्वारा नामान्तरण संख्या 180 दिनांक 05.06.2019 को स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 827/500 तादादी 1.0117 हेक्टेयर फरसाराम व खसरा नंबर 609 तादादी 0.89 हैक्टेयर नोरंगराम के नाम दर्ज हुआ विनिमय पत्र के अनुसार 827/500 भूमि मूल खसरा 500 में से उतरी–पूर्वी कोने में दर्शायी गई है। पश्चिमी दिशा में नौरंगराम की भूमि दक्षिणी दिशा में नौरंगराम की भूमि विनिमय पत्र में दर्ज रिकार्ड है। तत्पश्चात दौराने प्रार्थना पत्र ही नोरंगराम पुत्र रेवन्तराम जाति सुथार निवासी कल्यासणर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर द्वारा वीर तेजा गौशाला समिति कल्याणसर को अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 828/500 तादादी 2.6883 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की 0.5058 हैक्टेयर कृषि भूमि रोही ग्राम कल्यासणसर की भूमि जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दान कर दी गई। जबकि रजिस्टर्ड विनियम पत्र में अंकित आसा पासा के मुताबिक प्रार्थी को विनिमय की गई जमीन तादादी 1.0117 हैक्टेयर के दक्षिण व पश्चिम में खसरा नंबर 500 दर्शाया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

रोही ग्राम कल्याणसर के खेत खसरा नंबर 827/500 तादादी 1.0117 हेक्टेयर का नक्शा मुताबिक विनिमय पत्र दिनाक 19.05.2009 के अनुसार तरमीम कर राजस्व नक्शें में शुद्धिकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:09:25 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)